प्रेषक

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
उपायुक्त, रेवाड़ी।

48

प्रेषित

Incident Commanders Incharge of
Sub Division Rewari/ Bawal/ Kosli.

यादी क्रमांक 4232–4234 /COVID-19 दिनांक : 31.03.2020

विषय – **राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार राहत केन्द्रों पर न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।**

मानव जीवन के लिए खतरनाक नोवल कोरोना वायरस देश में फैलता ही जा रहा है। अतः इस आपदा की स्थिति को देखते हुए आप अपने–आपने अधिकार क्षेत्र में स्थापित राहत शिविरों में न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

1. नोडल आफिसर एवं रसोई, सुरक्षा, सेनेटाइजेशन रखरखाव के लिए पर्याप्त स्टाफ। (SDMs –cum- Incident Commander
2. खाना– 2400 कैलोरी प्रति दिन (बच्चों के लिए – 1700 कैलोरी प्रति दिन) (SDMs –cum- Incident Commander
3. बच्चों व स्तनपान कराने वाली महिलाओ के लिए दूध। (SDMs –cum- Incident Commander
4. प्रति दिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए 3 लीटर पानी। (XEN PHED, Rewari/ Bawal, Kosli)
5. शिविर मे प्रति 30 व्यक्ति पर 1 शौचालय का प्रबन्धं करेगे, अगर ज्यादा लोग ठहरे है तो अलग से मोबाईल टायलेट का भी प्रबन्ध करेगे। (BDPOs, EO, MC & Secretary MCs)
6. लाईट व पंखों संचार की सुविधा व बिजली की उचित व्यवस्था मय Mobile charging points की उचित व्यवस्था। (XEN (B &R.) Electrical)
7. महिलाओं के लिए सैनेटरी पैडस, टिशू पेपर रोल व डिस्पोजल पेपर बैग्स इत्यादि। (C.M.O.)
8. स्थानीय एवं गैर–सरकारी चिकित्सक टीम द्वारा प्रतिदिन राहत शिविर का दौरा एवं बीमार व्यक्तियों की चिकित्सा व आशा कार्यकर्ता द्वारा गर्भवती महिलाओं की जांच करना। (C.M.O.)

9. उचित कम्बल व बिस्तर की सुविधा। (SDMs) ,

10. प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा। (C.M.O.)

11. स्वच्छता एवं किटाणु शोधन । (BDPOs, EO, MC & Secretary MCs)

12. प्रत्येक **शिविर** का मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) चार्ट तैयार किया जायेगा। (DRO)

13. कैम्प मैनेजर द्वारा प्रत्येक दो घंटे में कैम्प का निरीक्षण किया जायेगा, निरीक्षण उपरांत संबन्धित सूचना SOP chart में दर्ज करेंगें जैसे शौचालय की दशा, खाने की गुणवत्ता (खाने की स्वयं स्वाद चख कर जांच करके प्रमाण पत्र लिखित में देगें व शौचालय भी यही प्रयोग करेंगें)। (Incident Commander)

14. जिला सूचना एवं लोक सम्पर्क अधिकारी द्वारा सार्वजनिक उद्घोषणा (Public Address System) की व्यवस्था करना।

15. प्रत्येक शिविर में रहने वाले पुरूष व महिलाओं के लिए उनके ठहरने की व्यवस्था अलग–अलग करेगें। (Incident Commander)

16. शिविर मे सफाई, स्नान घर, शौचालयों की सफाई प्रति शिप्ट तीन बार करवायेगे व उचित संख्या मे सफाई कर्मी शिप्ट मे डयुटी करेगे। (Camp Manager, BDPOs, EO, MC & Secretary MCs)

17. Camp Manager शिविर मे 24 घण्टे रहेगे व सभी अति आवश्यक दूरभाष नम्बर नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगे जैसे Police, Health, Incident Commander ,BDPO इत्यादी । (Incident Commander)

18. शिविर मे रह रहे व्यक्तियो के लिए कैम्प मैनेजर सभी जरूरी सूचना दिन मे 4 बार सार्वजनिक उद्घोषणा करेगे व पोस्टर इतियादी चस्पा करेगे। (Camp Manager)

19. प्रत्येक शिविर मे मनोवज्ञानिक से परामर्श करवाने की भी व्यवस्था करेंगे। (C.M.O)

20 शिविर में रहने वाले सभी व्यक्ति कैम्प मैनेजर के निर्देशों का पालन करेंगें जैसे Social Distancing, स्वच्छता, धुम्रपान न करना आदि। (Camp Manager)

21. प्रत्येक शिविर मे प्रातः व सायः भजन/संगीत चलाना सुनिश्चित करेगे । (DIPRO,)

22. प्रत्येक शिविर मे फॉगिंग मशीन द्वारा मच्छरो से राहत के लिए फॉगिंग करवाना सुनिश्चित करेगे एवं मच्छर रिपैलैंट का भी प्रबन्ध करेंगे। (CMO,BDPOs, EO, MC & Secretary MCs)

23 शिविर में रहने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा यदि बार–बार नियमों व निर्देशों का उल्लघंन किया जाता है तो कैम्प मैनेजर के सूचित करने पर संबन्धित पुलिस थाना प्रबंधक द्वारा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जायेगी। (SP, Rewari)

50

24. सभी धार्मिक समुदायों के मुखिया जिला रेवाड़ी में चलाए जा रहे राहत शिविरों का दौरा करेंगे तथा अपने–अपने धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। (SDM. Rewari/ Bawal/ Kosli)

– ह0 –

यशेन्द्र सिंह, भा.प्र.से.,
नगराधीश,रेवाड़ी।
कृतेः उपायुक्त, रेवाड़ी

पृ0 क्रमांक 4235–4314 /COVID-19 दिनांकः 01.04.2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1. आयुक्त गुरूग्राम, मण्डल गुरूग्राम तथा केरोना वायरस के प्रसार की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना एवं समन्य और निगरानी अधिकारी।
2. पुलिस अधीक्षक, रेवाड़ी को भेजकर अनुरोध है कि सभी शिविरों पर उचित पुलिस बल मय महिला पुलिस बल उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
3. अतिरिक्त, उपायुक्त, रेवाडी।
3. नगराधीश/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद/जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी/जिला राजस्व अधिकारी, रेवाड़ी।
4. कार्यकारी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (विद्युत मण्डल), रेवाड़ी।
5. कार्यकारी अभियन्ता, जनस्वास्थ्य विभाग, रेवाड़ी/बावल/ कोसली।
4. डयूटी मजिस्ट्रेट एवं सह घटना कमाण्डर (Incident Commanders), **जिला रेवाड़ी**।
5. सभी थाना प्रबंधक, जिला रेवाडी (मार्फत पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी)।
6. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद रेवाड़ी।
7. सचिव नगरपालिका, बावल/धारूहेड़ा।
8. जिला रेवाडी के सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी।
9. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी रेवाड़ी।
10. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी रेवाड़ी।
11 संबन्धित राहत शिविरों की प्रबधंक समितियां।
12. स्टैनोग्राफर उपायुक्त, रेवाड़ी।
13. आशुलिपिक, नगराधीश, रेवाड़ी।

Sanjeev 01/04/2020

संजीव कुमार, एच०सी०एस०
नगराधीश,रेवाड़ी।
कृतेः उपायुक्त, रेवाड़ी।